संख्या–स्था0 154/सत्तर–3–2015–स्था0(02)/2015 T.C.II

प्रेषक,

पी0के0 पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 171 /रा0उ0शि0प0/20
दिनांक 5-11-2015

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 03 ~~सितम्बर~~ नवम्बर, 2015

विषयः– डॉ0 ओमवीर सिंह, प्रवक्ता, एन0आर0ई0सी0 कालेज खुर्जा, बुलन्दशहर उ0प्र0 का स्थानान्तरण श्री वार्ष्येय महाविद्यालय अलीगढ़ किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– सं0नि0(उ0शि0)/466/2015–16 दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुति के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख **कालम–04 के** अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहॉ के लिए स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 ओमवीर सिंह, प्रवक्ता, एन0आर0ई0सी0 कालेज खुर्जा, बुलन्दशहर।	गणित	श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़।

2– उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(पी0के0 पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्याः– स्था0 154(1)/सत्तर–3–2015– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
(2) जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर/अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा उत्तर प्रदेश।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह)
अनुसचिव।

कम्प्यूटर/वेब
R
05/11/15